फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री पुरूषोतम दवे, निवासी बामन टूकडा, तहसील व जिला–राजसमन्द 9783851097
–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 62/2020**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 24.11.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/979–80 दिनांक 18.11.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 16.09.2020 व इस अनुभाग को 18.09.2020 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर तहसील कार्यालय राजसमंद की होने से मूल ही प्रार्थना पत्र जरिये पत्र कमांक : प.1( )सू.अ., 05/2020/783–84 दिनांक 18.09.2020 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत तहसीलदार राजसमंद को अंतरण कर प्रेषित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया। तहसीलदार राजसमंद द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 16.09.2020 से चाही गई सूचना तहसीलदार राजसमंद के पत्रांक आरटीआई/2020/619–20 दिनांक 19.10.2020 से प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना भिजवाते हुए इस कार्यालय को प्रति दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को तहसीलदार राजसमंद के पत्रांक आरटीआई/ 2020/619–20 दिनांक 19.10.2020 से अपीलार्थी के पते पर सूचना प्रस्तुत कर कार्यालय में दो रूपये प्रति पेज से दो पेज के चार रूपये भुगतान कर प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया। इस संदर्भ में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय समय पर तहसील कार्यालय राजसमंद में उपस्थित होकर वांछित सूचना की राशि चार रूपये जमा करा कर वांछित सूचना प्राप्त करें। उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

	कलक्टर, राजसमन्द एवं तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)